भारत सरकार

वस्‍त्र मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1573

1 जनवरी, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए

भारतीय हस्‍तशिल्‍प और हथकरघा निर्यात निगम के विरूद्ध अभ्‍यावेदन

1573. सरदार बलविंदर सिंह भुंडर:

क्‍या वस्‍त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क):** क्‍या प्रधान मंत्री कार्यालय को ऐसे कोई अभ्‍यावेदन प्राप्‍त हुए हैं जिनमें उससे यह आग्रह किया गया है कि वह भारतीय हस्‍तशिल्‍प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एच एच ई सी) को यह बाध्‍यकारी निदेश दे कि वह उक्‍त निगम द्वारा बिना किसी कारण रोकी गई छोटे कारोबारियों के मुनाफे की धनराशि जारी करें;

**(ख):** यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

**(ग):** विगत तीन वर्षों से बुलियन के आयात हेतु भारतीय हस्‍तशिल्‍प और हथकरघा निर्यात निगम के साथ काम करने वाले छोटे कारोबारियों की देय राशि का भुगतान करने के निदेश देने हेतु प्रधान मंत्री कार्यालय ने क्‍या कदम उठाए हैं?

**उत्‍तर**

**वस्‍त्र राज्‍य मंत्री**

**(श्री अजय टम्‍टा)**

**(क) और (ख):** जी, हां। प्रधानमंत्री कार्यालय को हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्‍स एक्‍सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचएचईसी) के पास मैसर्स एसएमसी कॉमट्रेड लि. (एसएमसी) की मार्जिन मनी को वापस करने के संबंध में श्री जयप्रकाश नारायण सिंह, पूर्व संसद सदस्‍य से एक अभ्‍यावेदन प्राप्‍त हुआ है।

**(ग):** प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने वह पत्र वस्‍त्र मंत्रालय को उचित कार्रवाई करने के लिए अग्रेषित किया है जिसे फिर मंत्रालय ने उसे एचएचईसी को अग्रेषित कर दिया है। एचएचईसी ने सूचित किया है कि आज की तारीख तक बुलियन के आयात के लिए एचएचईसी के साथ काम करने वाले किसी छोटे कारोबारी की कोई मार्जिन मनी नहीं रोकी गई है/लंबित नहीं है।

\*\*\*\*\*